"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 135] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 31 मई 2002—ज्येष्ठ 10, शक 1924

परिवहन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 मई 2002

आदेश

क्रमांक 534/परिवहन/2002.—राज्य सरकार छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 के नियम 56 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा अधिसूचना क्रमांक 27/परिवहन/2002, दिनांक 7 जनवरी 2002 की निरंतरता में एतद्द्वारा निम्नानुसार समयावधि, जिसमें यानस्वामी को मोटरयान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत नया नम्बर लेना होगा, वृद्धि करती है :—

(अ) यदि मोटरयान परिवहन यान है तो, 8 जुलाई 2002, से पूर्व.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. विज, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 31 मई 2002

क्रमांक 534/परिवहन/2002.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 31-5-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. विज, विशेष सचिव.

Raipur, the 31st May 2002

ORDER

No. 534/Transport/2002.—The State Government in exercise of powers conferred by rule 56 of the Chhattisgarh Motor Vehicle Rule, 1994, and in continuation of the notification No. 27/Transport/2002, dated 7th January 2002, hereby extend the time period within which the owner of vehicle shall obtain new number under the Motor Vehicle Act, 1988, as under :—

(a) in case the motor vehicle is a transport vehicle, before 8th July, 2002

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. K. VIJ, Special Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.